न्यायालय–प्रथम जिला न्यायाधीश राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव(छ०ग०)
(पीठासीन न्यायाधीश–डी०आर० देवांगन)

व्यवहार अपील प्रकरण क्रमांक–28–अ/2022
संस्थित दिनाँक–30.09.2022
C.N.R. No.–CGRN01–001597–2022

गौतम मेश्राम, आ०–थनवार मेश्राम, आयु–लगभग 46 वर्ष,
निवासी–कुमर्दा, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०)
.... **अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01**

–// विरूद्ध //–

(1) तारा बाई, आ०–सीताराम, ध०प०–सुंदरलाल चंद्रिकापुरे, आयु–50 वर्ष,
निवासी–शिकारी बाबा वार्ड नंबर–05 दल्ली राजहरा, जिला–बालोद (छ०ग०)
द्वारा–मुख्तयार आम श्रीमती शांति बाई गजभिये, ध०प०–नंदकिशोर गजभिये,
आयु–63 वर्ष,
निवासी–स्टेशन पारा वार्ड नंबर–13 राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)
.... **उत्तरवादी/वादिनी**

(2) छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा–जिलाधीश राजनांदगांव (छ०ग०)
.... **अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–02**

न्यायालय–द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 राजनांदगांव के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक–23–अ/2015, पक्षकार "तारा बाई विरूद्ध गौतम मेश्राम व अन्य" में

घोषित निर्णय व आज्ञप्ति दिनाँक–15.09.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी/ प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से श्री. एच०बी० गाजी अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक–01 की ओर से श्री. व्ही०बी० सिंह अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक–02 की ओर से श्री. कुंजलाल साहू अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक।

–// निर्णय //–

(आज दिनाँक–27/08/2024 को घोषित)

(01) अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा यह व्यवहार अपील अंतर्गत धारा–96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 राजनांदगांव के व्यवहार वाद क्रमांक–23–अ/2015, पक्षकार "तारा बाई विरूद्ध गौतम मेश्राम व अन्य" में घोषित निर्णय व आज्ञप्ति दिनाँक–15.09.2022, जिसके अनुसार उत्तरवादी/वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है।

(02) प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि उत्तरवादी/वादिनी के पिता सीताराम लगभग 50–55 वर्षों के गांव छोड़कर कहीं चले गये हैं और उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।

(03) इस अपील को उद्भूत करने वाले विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/उत्तरवादी क्रमांक–01 का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि शांतिबाई गजभिये वादिनी की बुआ है। वादिनी दल्लीराजहरा में निवास करता है और प्रत्येक पेशी में न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है इसलिए वादिनी अपनी बुआ शांति बाई को राजनांदगांव निवासी होने के कारण प्रकरण में पैरवी करने हेतु आम मुख्तयार नियुक्त की है। वादिनी के नाम पर ग्राम कुमर्दा, प०ह०नं०–30 के आवासीय क्षेत्र में खसरा नंबर–137, रकबा 0.08 एकड़ का खुला प्लॉट (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा) स्थित है, जिस पर वादिनी के पूर्वजों के जमाने से लगभग 60–70 वर्ष पूर्व से मकान बना हुआ था। उक्त प्लॉट पूर्व में वादिनी के पिता सीताराम के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज था तथा वर्तमान में वादिनी के नाम पर दर्ज है। वादिनी के पिता लगभग 55 वर्ष पूर्व गांव छोड़कर कहीं चले गये हैं जिनका आज दिनाँक तक कोई पता नहीं चला। जिस समय वादिनी के पिता गांव छोड़कर चले गये उस समय वादिनी छोटी बच्ची थी, जिसका पालन पोषण चाचा आशाराम द्वारा किया गया तथा वादग्रस्त भूमि का देखभाल वादिनी के चाचा तथा बुआ शांति बाई द्वारा किये जाते रहे। वादिनी के वयस्क होने पर उसका विवाद उसके चाचा आशाराम द्वारा किया गया। विवाह के पश्चात् भी वादग्रस्त भूमि का देखरेख वादिनी के साथ–साथ वादिनी के चाचा आशाराम व बुआ शांति बाई द्वारा

किया जाते रहा। 55 वर्ष पश्चात् भी सीताराम वापस नहीं आया तब ग्राम पंचायत कुमर्दा द्वारा सीताराम की सिविल मृत्यु मानकर दिनाँक–28.02.2013 को वादिनी के नाम पर वादग्रस्त भूमि का नामांतरण किया गया तब से वादिनी उक्त मकान की स्वामिनी हुई।

(04) वादी/उत्तरवादी क्रमांक–01 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश वाद पत्र में आगे यह भी अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का नाम चढ़ने के पश्चात् वादिनी के चाचा वादिनी के पास आये और कहने लगे कि वादग्रस्त भूमि का उसने प्रतिवादी से 1,00,000/–रूपए(अक्षरी एक लाख रूपए) में विक्रय करने का सौदा कर लिया है और बयाना के तौर पर 45,000/–रूपए (अक्षरी पैंतालिस हजार रूपए) नगद प्राप्त कर लिया है तथा 55,000/–रूपए(अक्षरी पचपन हजार रूपए) रजिस्ट्री के समय देने का लिखित में इकरार कर लिया है इसलिए वादग्रस्त भूमि के विक्रय पंजीयन हेतु डोंगरगांव चलना है तब वादिनी ने अपने चाचा आशाराम से उक्त भूमि का सौदा संपादित करके गैरकानूनी कार्य किये हो कहकर प्रतिवादी को विक्रय करने से इंकार कर दिया।

(05) वादी/उत्तरवादी क्रमांक–01 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश वाद पत्र में आगे यह भी अभिवचन किया गया है कि मई 2013 के द्वितीय सप्ताह में

वादिनी के कुमर्दा स्थित वादग्रस्त भूमि के समीप रहने वाले व्यक्ति ने फोन करके बताया कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा नींव खोदकर मकान बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है तब वादिनी अपनी बुआ शांति बाई के साथ वादग्रस्त स्थल पर जाकर प्रतिवादी को उक्त भूमि पर किये निर्माण कार्य को बंद किये जाने हेतु कहा गया जिस पर प्रतिवादी और उसकी पत्नी ने यह कहते हुए निर्माण को बंद करने से मना कर दिया कि उक्त भूमि को उन्होंने 1,00,000/–रूपए (अक्षरी एक लाख रूपए) में उसके चाचा से खरीद लिये हैं तब वादिनी ने हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि का खसरा बी–1 प्राप्त कर थाना डोंगरगांव में दिनाँक–20.05.2013 को प्रतिवादिनी के विरूद्ध लिखित शिकायत प्रस्तुत की एवं दिनाँक–21.05.2013 को तहसीलदार कुमर्दा के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी को वादग्रस्त जमीन में निर्माण कार्य रोके जाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनाँक–22.05.2013 को स्थगन आदेश जारी कर वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया, उसके बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा निर्माण प्रारंभ रख वादग्रस्त भूमि पर मकान का निर्माण कर लिया गया एवं शेष भूमि पर घेरा डालकर कब्जा किया गया है। वादिनी वादग्रस्त भूमि की स्वामिनी है जिसे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रतिवादी ने जबरदस्ती व बलात तरीके से वादग्रस्त भूमि पर मकान बना लिया है इसलिए वादिनी ने वादग्रस्त भूमि की एकमात्र

स्वामी होने की घोषणा एवं कब्जा प्राप्त करने हेतु यह वाद प्रस्तुत की है।

(06) अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाबदावा पेश कर वादिनी के वाद पत्र में किये गये समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी के पूर्वज थनवार मेश्राम एवं अन्य विगत 60 वर्षों से बिना किसी रोक–टोक के अपने आवासीय प्रयोजन की पूर्ति करते चले आ रहे हैं। उक्त विवादित भूमि खुला प्लॉट नहीं है बल्कि उसके अधिकांश हिस्से पर मकान निर्मित है जिसमें प्रतिवादी एवं उसका पूरा परिवार अपने आवासीय प्रयोजन की पूर्ति करते चले आ रहा है। विवादित भूमि कभी भी खंडहर में तब्दील नहीं हुआ है। प्रतिवादी द्वारा मकान का मरम्मत करवाया गया है। वादिनी के द्वारा असंवैधानिक तरीके से ग्राम पंचायत से सांठ–गांठ कर विधि विरूद्ध तरीके से सीताराम चंद्रिकापुरे का नाम विलोपित किया जाकर अधिकारिता रहित आदेश ग्राम पंचायत से प्राप्त किया गया है जिसके आधार पर वादिनी का कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2019–20 में ग्राम कुमर्दा की वादग्रस्त भूमि पर सीताराम का नाम अभिलेख में दर्ज रहा है। दिनाँक–07.06.2020 के प्रास्थिति संपूर्ण राजस्व अभिलेखों में सीताराम का नाम दर्ज रहा है तथा उक्त संपत्ति में दिनाँक–21.09.2000 में ताराबाई का नाम दर्ज

रहा है। जब वादग्रस्त संपत्ति सीताराम के नाम से दर्ज है तो दिनाँक–21.09.2000 में ताराबाई का नाम किस प्रास्थिति में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है, इसका उल्लेख वादपत्र में नहीं किया गया है।

(07) अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश अपने जवाबदावा में आगे यह भी अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी लगभग 60 वर्षों से वाद भूमि के कब्जे में चले आ रहा है। वादिनी द्वारा मिथ्या आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत को सीताराम की सिविल मृत्यु की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिनी द्वारा विधि विरूद्ध आदेश प्राप्त करके सीताराम का नाम विलोपित करके तारा बाई का नाम दर्ज किया गया है। वादिनी को वाद भूमि का कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ है। वाद भूमि का आशाराम के द्वारा प्रतिवादी को विक्रय किये जाने का करार किया गया था। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा आरंभ से ही रहा है, जिसकी जानकारी वादिनी को पूर्व से ही है। वादिनी को प्रतिवादी के स्वत्व की जानकारी होते हुए भी मिथ्या एवं बनावटी आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है अतः वादिनी का वाद निरस्त किया जावे।

(08) उत्तरवादी/प्रतिवादी क्रमांक–02 विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व

से एकपक्षीय रहा है, उसकी ओर से जवाबदावा भी पेश नहीं किया गया है।

(09) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नानुसार वाद प्रश्न विरचित कर उस पर निष्कर्ष दिया गया है :–

क्र०	विवाद्यक	निष्कर्ष
01.	क्या वादिनी ग्राम कुमर्दा, प०ह०नं०–30 के आवासीय क्षेत्र में खसरा नंबर–137, रकबा 0.08 एकड़ भूमि की स्वामिनी है ?	**"प्रमाणित हाँ"**
02.	क्या वादिनी ग्राम कुमर्दा, प०ह०नं०–30 के आवासीय क्षेत्र में खसरा नंबर–137, रकबा 0.08 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है ?	**"प्रमाणित हाँ"**
05.	सहायता एवं वाद व्यय ?	**"कंडिका–20 के अनुसार वादिनी का वाद स्वीकार किया गया है।"**

और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख में आये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिसंभाव्यता की प्रबलता से वादी द्वारा अपना पक्ष साबित करने में सफल रहने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया गया है। उक्त निर्णय व आज्ञप्ति के विरूद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

(10) अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा निम्न आधारों पर यह अपील पेश किया गया है :–

1. विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का सहीं परिशीलन न कर गंभीर विधिक भूल की है।

2. वादिनी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–107 से 110 में निरूपित प्रावधान अनुसार सिविल मृत्यु की घोषणा कराये बगैर ग्राम पंचायत से सांठगांठ करके विधि विरूद्ध तरीके से अपना नाम दर्ज करवाया है जबकि ग्राम पंचायत को व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और ग्राम पंचायत द्वारा यदि कोई विधि विरूद्ध प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उक्त प्रस्ताव अपीलार्थी पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखता है किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को अनदेखा करके क्षेत्राधिकारी विहिन निर्णय एवं आज्ञप्ति प्रदान किया है, जो कायम रखने योग्य नहीं है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद–65 को पूर्णतः अनदेखा कर उत्तरवादी को लाभ पहुँचाने

की गरज से सुस्थापित साक्ष्य अधिनियम एवं परिसीमा अधिनियम का गलत व्याख्यान करते हुए निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित किया है।

4. यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक किसी जमीन में अथवा मकान में निवासरत् है तो उक्त व्यक्ति उक्त संपत्ति का विपरीत आधिपत्य के आधार पर मालिक हो जाता है और अपीलार्थी व उसका परिवार विगत 60 वर्षों से उपरोक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं तथा उत्तरवादी क्रमांक–01/वादिनी को उक्त संपूर्ण तथ्यों की जानकारी है किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर न कर विधिक गंभीर भूल की है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का विपरीत तरीके से परिशीलन किया जाकर उत्तरवादी क्रमांक–01/वादिनी के पक्ष में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति बोलता हुआ निर्णय नहीं है।

उक्त आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनाँक–15.09.2022 को निरस्त कर अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01 की

अपील स्वीकार कर उसे ग्राम कुमर्दा, प०ह०नं०–30 स्थित आवासीय क्षेत्र में खसरा नंबर–137, रकबा 0.08 एकड़ खुला प्लॉट का स्वामी किया जावे।

(11) उत्तरवादी क्रमांक–01/वादिनी के द्वारा अपील का विरोध करते हुए अंतिम तर्क में व्यक्त किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित विवेचना कर, निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतः सही व उचित है, उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। फलतः अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किया जावे।

(12) इस व्यवहार अपील के निराकरण हेतु न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) के न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक–23–अ/2015, पक्षकार "तारा बाई विरूद्ध गौतम मेश्राम व अन्य" के अभिलेख तथा घोषित निर्णय व आज्ञप्ति दिनाँक–15.09.2022 का अवलोकन, परिशीलन किया गया।

(13) विचारण न्यायालय में वादिनी की ओर से साक्षीगण वादिनी की आम मुख्तयार शांति बाई गजभिये (वा०सा०–01) एवं उदेराम (वा०सा०–02) का साक्ष्य पेश किया गया है तथा वाद के समर्थन में दस्तावेज मुख्तयारनामा आम प्र०पी०–01, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2020–21 की सत्यापित प्रति प्र०पी०–02,

खसरा पाँचशाला वर्ष 2020–21 की सत्यापित प्रति प्र०पी०–03, भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की मूल प्रति प्र०पी०–04 एवं स्थगत आदेश दिनाँक–22.05.2013 की प्रति प्र०पी०–05 प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रतिवादी क्रमांक–01 की ओर से स्वयं प्रतिवादी क्रमांक–01 गौतम मेश्राम (प्रति०सा०–01) द्वारा अपना साक्ष्य कराया है तथा अपने पक्ष समर्थन में इकरारनामा दिनाँक–14.062012 की मूल प्रति प्र०डी०–01 प्रस्तुत किया है।

(14) इस अपील के संबंध में उभय पक्षकारों ने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये हैं, जिसके अवलोकन से इस अपील के निर्णय हेतु मेरे समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :–

1. **"क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनाँक–15.09.2022 तथ्य व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ?"**

–//निष्कर्ष के आधार//–

विद्वान विचारण न्यायालय के वाद प्रश्न क्रमांक–01 एवं 02 के संबंध में

(15) वादिनी की ओर से उसके मुख्तयार श्रीमती शांति बाई गजभिये ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 04 के अंतर्गत वाद पत्र के अभिवचनों

की पुष्टि करते हुए अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण स्वरूप साक्ष्य कथन में दर्शित किया है कि ग्राम कुमर्दा में स्थित 08 डिसमिल जमीन तारा बाई के पिता सीताराम के नाम से था। सीताराम लगभग 50–55 वर्ष से ग्राम कुमर्दा में नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत कुमर्दा द्वारा सीताराम को मृत मानकर उसकी भतीजी तारा बाई का नाम जमीन में दर्ज करा लिया और उस खंडहरनुमा मकान का मालिक उसकी भतीजी तारा बाई बन गई। उसकी भतीजी के पिता आज से लगभग 61–62 वर्ष पहले गांव छोड़कर कहीं चले गये, उनका पता नहीं चला और दोबारा गांव नहीं आये। उस समय तारा बाई छोटी थी जिसका पालन पोषण तारा बाई के चाचा आशाराम द्वारा किया जा रहा था और उक्त 08 डिसमिल जमीन का देखरेख आशाराम और उसके द्वारा किया जाता रहा है।

(16) इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी यह बतायी है कि पहले वाद भूमि पर राजस्व रिकार्ड पर सीताराम का नाम दर्ज था किन्तु उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वाद भूमि की ऋण पुस्तिका पर सीताराम का नाम किसने दर्ज कराया तथा स्वतः कथन कर स्पष्ट की है कि उसके विचार से पंचायत ने कराया है। प्रतिपरीक्षण में भी इस साक्षी को यह पूछे जाने पर कि वाद भूमि पर तारा बाई का नाम कैसे दर्ज हुआ तो यह साक्षी उत्तर देती है कि पंचायत ने यह मानकर कि

सीताराम मर गया है अतः सीताराम के मरने के बाद उसकी एकमात्र पुत्री तारा बाई के नाम पर फौती उठाकर वाद भूमि पर तारा बाई का दर्ज कर दिया है। प्रकरण में वादिनी की ओर से प्र०पी०–04 का भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की गई है जिससे भी दर्शित होता है कि वाद भूमि पूर्व में सीताराम के नाम पर दर्ज था तथा विरासतन हक से सीताराम की फौती दर्ज कराकर नामांतरण पंजी क्रमांक–09, दिनाँक–28.02.2013 के अनुसार वादिनी का नाम वाद भूमि में दर्ज किया गया जिससे उक्त प्रदर्शों से भी वादिनी की ओर से किये गये साक्ष्य कथन की पुष्टि होती है तथा इसी प्रकार प्र०पी०–02 एवं प्र०पी०–03 के खसरा पाँचशाला एवं बी–1 किश्तबंदी खतौनी के प्रतिलिपि से भी वर्तमान में वाद भूमि में वादिनी का नाम दर्ज होना प्रमाणित होता है।

(17) प्रतिवादी ने भी अपने साक्ष्य कथन में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में पूर्व में सीताराम का नाम दर्ज था तथा सीताराम के पश्चात् वादिनी तारा बाई का नाम 10–12 वर्ष पहले दर्ज हुआ। प्रतिवादी इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि सीताराम लगभग 50–55 वर्ष से अपने घर वापस नहीं आया है किन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी पक्ष के साक्ष्य कथन को खंडित करने के आशय से इस संबंध में इस आशय का सुझावात्मक प्रश्न पूछा गया

है कि वाद भूमि पर सीताराम का नाम एवं सीताराम के पश्चात् वादिनी का नाम जो राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ है, वह अवैधानिक तरीके से हुआ है किन्तु प्रतिवादी की ओर से जिस राजस्व प्रकरण जिसके तहत् सीताराम एवं सीताराम के पश्चात् वादिनी तारा बाई का नाम दर्ज हुआ है, उस राजस्व प्रकरण को किसी राजस्व न्यायालय में उसके द्वारा चुनौती दी गई हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि उनके अनुसार वाद भूमि पर सीताराम एवं सीताराम के पश्चात् अवैधानिक तरीके से नामांतरण होकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हुआ है और वह उक्त वाद भूमि पर हक रखता है तब किस कारण से राजस्व न्यायालय में उक्त नामांतरण को चुनौती नहीं दी गई, यह स्पष्ट नहीं होने से इस न्यायालय में उक्त नामांतरण एवं रिकार्ड दुरूस्ती के संबंध में आक्षेप किये जाने से कोई विधिक लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है बल्कि इसके विपरीत यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी भी उक्त नामांतरण एवं रिकार्ड दुरूस्ती से उसका मौन सहमति है।

(18) प्रतिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण स्वरूप शपथपत्रीय साक्ष्य कथन अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अपने अभिवचन की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया है कि शपथकर्ता ग्राम कुमर्दा स्थित भूमि में बने हुए मकान पर लगभग 60 वर्ष पूर्व अर्थात् अपने पूर्वजों के समय से बिना किसी

रोकटोक के उपरोक्त मकान में अपने परिवार सहित अपने आवासीय प्रयोजन की पूर्ति करते चले आ रहे हैं। इस प्रतिवादी ने अपने उक्त शपथपत्रीय साक्ष्य कथन में यह भी कथन किया है कि विवादित संपत्ति को तारा बाई की सहमति से आशाराम द्वारा अपने रिश्तेदार गौतम मेश्राम (प्रतिवादी) को दिनाँक–14.06.2012 को उक्त विवादित संपत्ति का विक्रय किर दिया गया है तथा बिक्री के एवज में आरंभ में 45,000/–रूपए(अक्षरी पैंतालीस हजार रूपए) दिया गया तथा शेष राशि 55,000/–रूपए (अक्षरी पचपन हजार रूपए) पंजीयन के समय दिया जाना तय होकर तारा बाई व आशाराम द्वारा पंजीयन करावाया जाये।

(19) इस प्रकार प्रतिवादी वाद भूमि के संबंध में दो तरह का एक–दूसरे के विपरीत कथन करता है। वह यह भी कहता है कि 60 वर्ष तक उक्त मकान पर बिना रोकटोक के अपने पूर्वजों के समय से अपने आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयोग करता आ रहा है तथा यह भी कहता है कि वह दिनाँक–14.06.2012 को वादिनी के चाचा आशाराम से विवादित संपत्ति का विक्रय का करार कर लिया है तथा उसके एवज में 45,000/–रूपए दे भी दिया है और 55,000/–रूपए पंजीयन के समय दिया जाना है। यदि प्रतिवादी वास्तविक रूप से वाद भूमि में 60 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से बिना रोकटोक के मकान पर आधिपत्य रहा है और उस

आधिपत्य के आधार पर स्वत्व अर्जन कर लिया है तब उस आधिपत्य एवं स्वत्व अर्जन के आधार पर राजस्व न्यायालय में तथा इस न्यायालय में प्रतिकुल कब्जा के आधार पर स्वामी घोषित करने बाबत् कोई कार्यवाही या वाद प्रस्तुत किस कारण नहीं किया है, यह स्पष्ट नहीं होता है तथा इसी प्रकार वादिनी के चाचा आशाराम से वादिनी की ओर से उक्त वाद भूमि का विक्रय का करार किये जाने के तथ्य से यह भी दर्शित होता है कि प्रतिवादी उक्त वाद भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी वादिनी को स्वीकार करता है तभी तो उसके द्वारा वाद भूमि का वादिनी की ओर से बिक्री किये जाने का करार उसके चाचा आशाराम के द्वारा किये जाने के तथ्य का अभिवचन कर साक्ष्य कथन कर रहा है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि प्रतिवादी किसी भी प्रकार से वादिनी की वाद संपत्ति को हड़पना चाहता है। इस कारण प्रतिवादी का किया गया अभिवचन एवं साक्ष्य कथन आपस में विरोधाभासी होने से अविश्वसनीय है।

(20) इस प्रकार वाद भूमि का पूर्व स्वामी सीताराम एवं वादिनी तारा बाई पूर्व भूमि स्वामी के एकमात्र पुत्री होने के कारण वर्तमान में स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित होता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक–01 एवं 02 के संबंध में दिये गये सकारात्मक निष्कर्ष में कोई तथ्यात्मक, साक्ष्यात्मक एवं वैधानिक त्रुटि नहीं है।

विद्वान विचारण न्यायालय के वाद प्रश्न क्रमांक–03 सहायता एवं व्यय के संबंध में

(21) अतः उक्त ऊपर वर्णित वाद प्रश्न के साक्ष्य विवेचन उपरांत दिये गये निष्कर्ष के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनाँक–15.09.2022 की पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।

(22) उभय पक्ष अपना– अपना वाद व्यय वहन करेंगें।

(23) अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार प्रमाणित होने पर प्रमाण अनुसार अथवा सारिणी अनुसार जो भी न्यून हो, देय हो।

(24) निर्णय की प्रतिलिपि व्यवहार वाद क्रमांक–23– अ/2015 पक्षकार "तारा बाई विरूद्ध गौतम मेश्राम व अन्य" के साथ संलग्न कर मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को वापस किया जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति बनायी जाये।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

सहीं/–
(डी०आर० देवांगन)
प्रथम जिला न्यायाधीश राजनांदगांव,
जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)

निर्णय मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सहीं/–
(डी०आर० देवांगन)
प्रथम जिला न्यायाधीश राजनांदगांव
जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)